न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 18/2024 (2024/17)

अनवान

1. अजय पिता स्व.धन्नालाल धोबी नि.नगर पालिका कॉलोनी ,चित्तौडगढ
2. संजय पिता स्व.धन्नालाल धोबी नि.नगर पालिका कॉलोनी ,चित्तौडगढ
3. मधू पुत्री स्व.धन्नालाल धोबी नि.नगर पालिका कॉलोनी ,चित्तौडगढ
4. सुगना पत्नी स्व.धन्नालाल धोबी नि.नगर पालिका कॉलोनी ,चित्तौडगढ

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—विपक्षी

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति : श्री संजय मौड अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री पैरोकार सरकार विपक्षी

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौडगढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौडगढ

निर्णय दिनांक 19-03-26

प्रार्थना पत्र का सक्षेंप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विरूद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि बैरून हल्का आबादी चित्तौडगढ से प्रार्थीगण की तन्हा एंव कब्जे की खातेदारी कृषि आराजीयात ग्राम चित्तौडगढ पटवार हल्का चित्तौडगढ की खाता संख्या 845 पुराना 834 मे स्थित खसरा संख्या 3431/2611 रकबा 0.15 हे. स्थित है। प्रार्थीगण के दादा स्व.कजोडा पिता धूला धोबी ने खातेदार हीरा पिता खूमा से मौजा चित्तौडगढ की साबिक आराजी नम्बर 12554 रकबा 07 बीघा 8 बिस्वा भूमि क्रय कर दिनांक 22.10.1952 को कब्जा प्राप्त किया। जिसे प्रार्थीगण के दादा स्व.कजोड जी द्वारा खरीदशुदा आराजी प्रार्थीगण के दादा के खातेदारी मे दर्ज हुई व उनकी मृत्यु पर प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल पिता कजोड धोबी

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराधिकारी होने से प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल पिता कजोड धोबी के खातेदारी मे दर्ज की गयी जो नवीन भू–प्रबंधक साबिक नम्बरान व नवीन नम्बरान से प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल पिता कजोड के खातेदारी मे नवीन नम्बरान से वर्ष 1982 , 1983 दर्ज रेकार्ड रही जिसका विवरण निम्नानुसार है। आराजी न. 2611, 2612, 2613, 2614, 2616, 2617, 2624, 2625, 2626 कुल किता 09 कुल रकबा 1.67 हे. है। प्रार्थीगण के दादा स्व.कजोड ने मौजा चित्तौडगढ गंभीर नदी के पास साबिक आराजी नं 1255 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। जिसके नवीन नम्बर 2611, 2612, 2613, 2614, 2616, 2617, 2624, 2625, 2626 कुल किता 09 कुल रकबा 1.67 हे. काबा कायम किया परन्तु इसी के साथ नवीन आराजी नम्बर 3434/2611 रकबा 0.15 हे. रकबा बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया व उसके बाद नगर परिषद क्षेत्र में उक्त आराजी नगर पालिका चित्तौडगढ के नाम पर अन्य आराजी के साथ दर्ज कर दी गई वो अपने आपमें अवैधानिक होकर प्रार्थीगण नवीन आराजी नम्बर 3431/2611 रकबा 0.15 हे. भूमि अपने खातेदारी में घोषित कराये जाने के अधिकारी होने से प्रार्थीगण के पिता व पितामह ने न्यायालय में सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के यहां प्रकरण संख्या 116/15 पेश किया गया। जिसमें प्रार्थीगण के पिता के पक्ष मे दिनांक 09.06.2016 को निर्णय एंव डिक्री पारित करते हुए आराजी नं 3431/2611 रकबा 0.15 हे. का खातेदारी घोषित किया तथा न्यायालय एंव डिक्री की पालना में नामान्तरकरण की संख्या 2583 निर्णय दिनांक 13.07.2017 से प्रार्थीगण के पिता धन्नालाल, कन्हैयालाल, देवीलाल के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी मे दर्ज किया गया। अन्य सहखातेदारन ने दिनांक 14.06.2022 को हक परित्याग विलेख लिख कर प्रार्थीगण के नाम सम्पूर्ण रकबा दर्ज किया गया।

आराजी संख्या 2611 व 3431/2611 के मध्य उक्त दोनो खसरा नम्बर के मध्य लाईन डाल दी जब कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना मनमकसूद व अवैधानिक तरीके से लाईन डाल दी । जिससे खसरा नम्बर 2611 व 3431/2611 के दो टूकडे कर दिये व दूसरे टूकडे पर बिना नम्बर किये जी खाली छोड दिया। उक्त खाली पड़ा हुआ नक्शे

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(रीतु देवरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वाली भूभाग प्रार्थीगण का ही है। उक्त नक्शे में लाईन डाल कर नक्यो में छेडछाड कर दी व तरमीम भी गलत कर दिया है। अन्त मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी संख्या 3431/2611 रकबा 0.15 हे. के नक्शे में जो त्रुटि है जो नक्शा आराजी बिना नम्बरी नक्शा बनाया गया है उसे पुन राजस्व रेकार्ड में ट्रेस नक्शा में कब्जे अनुसार व जमाबंदी मे वर्णित क्षेत्रफल अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम कर सुधार किया जाकर नया राजस्व नक्शा जारी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार हाजिर। तहसीलदार चित्तौडगढ से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसील से पत्रांक/राज/2025/678 दिनांक 01.05.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होकर रेकार्ड पर है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार

1. ग्राम चित्तौडगढ के साबिक आराजी संख्या 1255 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा के खाता संख्या 373 अनुसार खातेदार श्री मांगीलाल पिता कजोड धोबी सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी 2611, 2612, 2613, 2614, 2616, 2617, 2624, 2625, 2626 कुल किता 09 कुल रकबा 1.67 हे. बने जो गत रकबे के मुकाबले 0.07 हे. बेसी दर्ज हुआ इसके पश्चात प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में एक वाद 116/2015 पेश किया गया जिससे प्रार्थीगण के पक्ष मे दिनांक 09.06.2016 को निर्णय व डिक्री पारित हुई । जिससे ग्राम चित्तौडगढ के नवीन आराजी नं 3431/2611 रकबा 0.15 हे. में प्रार्थी को खातेदार घोषित किया गया। जिससे प्रार्थी के पास अब कुल रकबा 1.82 हे. दर्ज हो गया। जो कि गत रकबे के मुकाबले 0.22 हे. बेसी दर्ज हुआ।
2. ग्राम चित्तौडगढ की नवीन आराजी नं 2610 रकबा 1.51 हे. किस्म नाला राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम सरकार दर्ज राजस्व रेकार्ड है। उत्तर दिशा का भू भाग जो प्रार्थी की खातेदारी आराजी नं 3431/2611 से लगा हुआ है। जिसे नक्शे मं अपने आराजीयात में शामिल करवाना चाहते हैं , साबिक राजस्व रेकार्ड , जमाबंदी नक्शा , मिलान क्षेत्रफल और वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी नक्शा का अवलोकन करने पर जाहिर आया हैं कि ग्राम चित्तौडगढ

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

की वर्तमान आराजी नं 2610 रकबा 1.51 हे. किस्म नाला के साबिक आराजी नं 1254/2 मी रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा , 1227/2 मी रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा से बने हैं । पुराने और नये नक्शे मे मिलान करने पर कोई अन्तर नहीं पाया गया, प्रार्थीगण के वर्तमान में भी रकबा कम दर्ज नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को ग्राम चित्तौडगढ की वर्तमान आराजी नं 2610 का उतरी भू भाग नही दिया जा सकता ।

दौराने सुनवाई अधिवक्ता प्रार्थीगण ने तहसील से प्राप्त रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर करते हुए पुनः रिपोर्ट बनाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चित्तौडगढ से पुन मौका एंव वस्तुस्थिति रिपोर्ट तलब की गई। उक्त रिपोर्ट की पालना मे कार्यालय तहसीलदार चित्तौडगढ से पत्रांक/राज/2026/297 दिनांक 04.03.2026 से रिपोर्ट प्राप्त होकर रेकार्ड पर है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार

1. ग्राम चित्तौडगढ के साबिक आराजी संख्या 1255 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा के खाता संख्या 373 अनुसार खातेदार श्री मांगीलाल पिता कजोड धोबी सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी 2611, 2612, 2613, 2614, 2616, 2617, 2624, 2625, 2626 कुल किता 09 कुल रकबा 1.67 हे. बने जो गत रकबे के मुकाबले कम नही है।
2. ग्राम चित्तौडगढ के आराजी नं 3431/2611 रकबा 0.15 हे. दर्ज खातेदार के दर्ज राजस्व रेकार्ड है आराजी नं 3431/2611 के उत्तर दिशा का भू भाग को नक्शे में अपनी आराजीयात में शामिल करवाना चाहता है उपलब्ध राजस्व नक्शा एंव जमाबन्दी में दर्ज रकबा का मिलान करने पर भिन्नता है, आराजी नं 3431/2611 रकबा 0.15 हे. दर्ज है जबकि राजस्व नक्शा मे रकबा बरारी करने पर 0.08 हे. ही बनाता है। नक्शा में 0.07 हे. कम है। साबिक राजस्व रेकार्ड , जमाबंदी , नक्शा मिलान क्षेत्रफल और वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी नक्शा का अवलोकन करने पर जाहिर आया है कि ग्राम चित्तौडगढ की वर्तमान आराजी नं 2610 रकबा 1.51 है किस्म नाला के साबिक आराजी नं 1254/2 मी .रकबा 9 बीघा 1 बीस्वा ,

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

1227/2 मी रकबा 08 बीघा 1 बीस्वा से बने है। जो कि प्रार्थीगण की साबिक आराजी नं 1255 से नही बना है।

पत्रावली नियत दिनांक को बहस हेतू न्यायालय के समक्ष पेश हुई । अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए एंव तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी संख्या 3431/2611 रकबा 0.15 हे. के नक्शे में जो त्रुटि है जो नक्शा आराजी बिना नम्बरी नक्शा बनाया गया है उसे पुन राजस्व रेकार्ड में ट्रेस नक्शा में कब्जे अनुसार व जमाबंदी मे वर्णित क्षेत्रफल अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम कर सुधार किया जाकर नया राजस्व नक्शा जारी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनो पर चिन्तन व मनन किया । प्रार्थीगण ग्राम चित्तौडगढ की आराजी संख्या 3431/2611 रकबा 0.15 हे. के नक्शे मे हुई त्रुटि को दुरूस्त करवाना चाहता है।

उपरोक्त विषयवस्तु के सम्बन्ध मे तहसीलदार चित्तौडगढ से मौके एंव रेकार्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/678 दिनांक 01.05.2024 एंव 297 दिनांक 04.03.2026 का अवलोकन किया गया। उक्त दोनो रिपोर्ट्स के अवलोकन से जाहिर हुआ है कि ग्राम चित्तौडगढ की नवीन आराजी नं 2610 रकबा 1.51 हे. किस्म नाला राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज राजस्व रेकार्ड है। उतर दिशा का भू भाग जो प्रार्थी की खातेदारी आराजी नं 3431/2611 से लगा हुआ है। जिसे प्रार्थीगण नक्शे में अपने आराजीयात में शामिल करवाना चाहते है। चूंकि गौरतलब है कि प्रार्थीगण की आराजीयात के उत्तर दिशा मे स्थित आराजी नं 2610 रकबा 1.51 हे. किस्म नाला के साबिक आराजी नं 1254/2 मी रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा , 1227/2 मी रकबा 08 बीघा 1 बिस्वा से बने है जो कि प्रार्थीगण की साबिक आराजी नं 1255 से नहीं बना है।

(मोहर: न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ — सत्यमेव जयते)

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

चूंकि यहा यह स्पष्ट करना उचित रहेगा कि प्रार्थीगण नक्शे मे उत्तर दिशा मे आराजी नं 2610 किस्म नाला के उत्तरी भू भाग को अपनी आराजीयात मे शामिल करवाना चाहता है उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की साबिक आराजी नं 1255 से नही बना होना तहसील से प्राप्त दोनो रिपोर्ट्स के अवलोकन से जाहिर हुआ है। उपरोक्त तथ्यो से यह बात भलीभाती स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की साबिक आराजीयात , आराजी नं 2610 से नही बने हुए है तो लिहाजा आराजी नं 2610 के उत्तरी भू–भाग को प्रार्थीगण की अपनी आराजीयात मे शामिल करवाने का प्रश्न ही नही उठता है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रमाणित नही पाया जाने से खारीज किए जाने योग्य है।

अत : प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचना के आधार पर खारीज किया जाता है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(जीतू कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner